



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 21 अगस्त, 2024

श्रावण 30, 1946 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1670/वि०स०/संसदीय/49(सं)-2024

लखनऊ, 29 जुलाई, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 जुलाई, 2024 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 संक्षिप्त नाम और  
कहा जाएगा। प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 19 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।



5-मूल अधिनियम की अनुसूची में, शब्द और प्रतीक "महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़", शब्द और प्रतीक "राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़", शब्द और प्रतीक "माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर", शब्द और प्रतीक "माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर" और शब्द और प्रतीक "उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद" रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का संशोधन

निरसन और व्यावृत्ति

6-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियों को संशोधित और समेकित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) अधिनियमित किया गया है।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य के अनुसरण में देवीपाटन मण्डल, विन्ध्याचल मण्डल एवं मुरादाबाद मण्डल में एक-एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा चुका है। जिला मुरादाबाद में गुरु जम्भेश्वर जी का प्राचीन मन्दिर स्थित है तथा गुरु जम्भेश्वर जी के प्रति जनसामान्य की अटूट श्रद्धा है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत मुरादाबाद जिला में स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय किए जाने तथा इसी प्रकार महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़, माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर एवं राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ का नाम क्रमशः महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़, माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर एवं राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय  
मंत्री,  
उच्च शिक्षा।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974

धारा 4 (1-क) ठ,ड,ढ (ठ) एक विश्वविद्यालय जिसे माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के रूप में जाना जायेगा;

(ड) एक विश्वविद्यालय जिसे माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के रूप में जाना जायेगा;

(ढ) एक विश्वविद्यालय जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के रूप में जाना जायेगा।”

धारा 50(1-झ) (1-ञ) (1-ट) “(1-झ) जब तक कि इस धारा के अधीन माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की परिनियमावली, जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(1-ञ) जब तक कि इस धारा के अधीन माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।”

“(1-ट) जब तक कि इस धारा के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली की परिनियमावली जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।”

अनुसूची का संशोधन

अनुसूची क्रम संख्या-6

“6-डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या-

(एक) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर की स्थापना होने तक गोण्डा और सुल्तानपुर जिले

(दो) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और बलरामपुर की स्थापना हो जाने पर सुलतानपुर जिले”

(ख) क्रम संख्या-7 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेगी, अर्थात :-

“7-महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली-

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, मुरादाबाद की स्थापना होने तक बिजनौर, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), रामपुर और सम्मल जिले

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर जिले” मुरादाबाद की स्थापना हो जाने पर

(ग) क्रम संख्या-10 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेगी, अर्थात :-

“10-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-

(एक) माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, वाराणसी, चंदौली, भदोही (संत रविदास नगर), मिर्जापुर की स्थापना हो जाने तक मिर्जापुर, सोनभद्र जिले

(दो) माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, वाराणसी, चंदौली जिले” मिर्जापुर की स्थापना हो जाने पर

(घ) क्रम संख्या-13 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेगी, अर्थात :-

"13-सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर-

(एक) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीरनगर, बलरामपुर की स्थापना होने तक महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर जिले

(दो) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थ बलरामपुर की स्थापना होने तक नगर जिले"

(ङ) क्रम संख्या-17 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात :-

18-माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले बलरामपुर

"19-माँ विन्ध्यवासिनी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, भदोही (संत रविदास नगर) सोनभद्र मिर्जापुर जिले

20-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल जिले"

धारा 52  
(2-ज),  
(2-झ),  
(2-ञ)

"(2-ज) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(2-झ) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(2-ञ) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के अध्यादेश जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

आज्ञा से,  
प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR  
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 374/XC-S-1-24-24S-2024  
Dated Lucknow, August 21, 2024

NOTIFICATION  
MISCELLANEOUS

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Rajya Vishvavidyalaya (Sanshodhan) Vidheyak, 2024" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 29, 2024.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)  
BILL, 2024

A  
BILL

*further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and  
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 19<sup>th</sup> day of July, 2024.

Amendment of  
section 4 of  
President's Act no.  
10 of 1973 as  
amended and re-  
enacted by U.P.  
Act no. 29 of 1974

2. (1) In the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 *hereinafter* referred to as the "principal Act", in sub-section (1-A) of section 4,-

"(a) In clause (j), for the words and symbol "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh", the words and symbol "Maharaja Suhel Dev University, Azamgarh" shall be *substituted*.

(b) In clause (k), for the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh", the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh" shall be *substituted*.

(c) In clause (l), for the words and symbol "Maa Pateshwari Devi State University, Balrampur", the words and symbol "Maa Pateshwari University, Balrampur" shall be *substituted*.

(d) In clause (m), for the words and symbol "Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur", the words and symbol "Maa Vindhyaivasini University, Mirzapur" shall be *substituted*.

(e) In clause (n), for the words and symbol "Uttar Pradesh State University, Moradabad", the words and symbol "Guru Jambheswar University, Moradabad" shall be *substituted*."

Amendment of  
Section 50

3. (1) In section 50 of the principal Act,-

"(a) In sub-section (1-G), for the words and symbol "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh", the words and symbol "Maharaja Suhel Dev University, Azamgarh" shall be *substituted*.

(b) In sub-section (1-H), for the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh", the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh" shall be *substituted*.

(c) In sub-section (1-I), for the words and symbol "Maa Pateshwari Devi State University, Balrampur", the words and symbol "Maa Pateshwari University, Balrampur" shall be *substituted*.

(d) In sub-section (1-J), for the words and symbol "Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur", the words and symbol "Maa Vindhyavasini University, Mirzapur" shall be *substituted*.

(e) In sub-section (1-K), for the words and symbol "Uttar Pradesh State University, Moradabad", the words and symbol "Guru Jambheshwar University, Moradabad" shall be *substituted*."

4. (1) In section 52 of the principal Act,-

Amendment of  
Section 52

"(a) In sub-section (2-F), for the words and symbol "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh", the words and symbol "Maharaja Suhel Dev University, Azamgarh" shall be *substituted*.

(b) In sub-section (2-G), for the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh", the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh" shall be *substituted*.

(c) In sub-section (2-H), for the words and symbol "Maa Pateshwari Devi State University, Balrampur", the words and symbol "Maa Pateshwari University, Balrampur" shall be *substituted*.

(d) In sub-section (2-I), for the words and symbol "Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur", the words and symbol "Maa Vindhyavasini University, Mirzapur" shall be *substituted*.

(e) In sub-section (2-J), for the words and symbol "Uttar Pradesh State University, Moradabad", the words and symbol "Guru Jambheshwar University, Moradabad" shall be *substituted*."

5. In the Schedule to the principal Act, for the words "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh" the words and symbol "Maharaja Suhel Dev University, Azamgarh", "Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh" the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh", "Maa Pateshwari Devi State University, Balrampur" the words and symbol "Maa Pateshwari University, Balrampur", "Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur" the words and symbol "Maa Vindhyavasini University, Mirzapur" and "Uttar Pradesh State University, Moradabad" the words and symbol "Guru Jambheshwar University, Moradabad" shall be *substituted*.

Amendment of  
Schedule

Repeal and saving

6. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed.

U.P. Ordinance  
no. 12 of 2024

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (Presidential Act no. 10 of 1973 has been enacted to amend and consolidate the laws related to certain universities in Uttar Pradesh.

To provide quality higher education, the Uttar Pradesh Government has set the goal of establishing a State University in each division. In pursuit of this goal, one University each has been established in Devipatan Division, Vindhyachal Division and Moradabad Division. An ancient Temple of Guru Jambheshwar Ji is located in Moradabad district and the general public has unwavering faith in Guru Jambheshwar Ji In view of the above, it was decided to amend the aforesaid Act to rename the Uttar Pradesh State University, Moradabad, established in Moradabad district as Guru Jambheshwar University and similarly to rename Maharaja Suheldev State University, Azamgarh, Maa Vindhyaasini State University, Mirzapur, Maa Pateshwari State University, Balrampur and Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh as Maharaja Suheldev University, Azamgarh, Maa Vindhyaasini University, Mirzapur, Maa Pateshwari University, Balrampur and Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh respectively.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was required to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 12 of 2024) was promulgated by the Governor on 19-07-2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGENDRA UPADHYAY

*Mantri,*

*Uccha Shiksha.*

By order,

J. P. SINGH-II,  
*Pramukh Sachiv.*